:1:

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर
प्रकरण कमांक 443/2000–01 अपील

A.582-I/09

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा उपपंजीयक, रतलाम

———अपीलान्ट

विरूद्ध

1–माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग, उज्जैन
2–न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, रतलाम
3–वैघ इन्दुशेखर पिता श्री वैघ श्यामसुंदर जी आचार्य
निवासी – 171, लुहार रोड़, रतलाम
4–राजेश कुमार पिता श्री रमेशचन्द्र जी मेर
निवासी 23, सायर चबुतरा, रतलाम

<u>अपील अन्तर्गत धारा 47:क:–5 मुद्रांक विधान</u>

माननीय महोदय,

अपीलान्ट अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपरआयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 443/00–01 अपील में पारीत आदेश दिनांक 13.5.2008 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर यह अपील अंदर अवधि निम्न कारणो से प्रस्तुत करता है।

1:अ: अपीलान्ट का पुरा नाम व्यवसाय तथा पता।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपपंजीयक रतलाम, मध्यप्रदेश

:ब: दस्तावेज के निष्पादक करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम एवं पता– उ वैघ इन्दुशेखर पिता श्री वैघ श्यामसुंदर जी आचार्य
निवासी – 171, लुहार रोड़, रतलाम

:स: दावेदार का पुरा नाम पिता का नाम एवं पता –
राजेश कुमार पिता श्री रमेशचन्द्र जी मेर
निवासी 23, सायर चबुतरा, रतलाम

:द: दिनांक एवं दस्तावेज का स्वरूप –
10.5.1999 बयनामा 2,00,000/– अंके दो लाख।

:इ: पंजीयन संबंधी पंजीयन का दिनांक एवं कार्यालय जहाॅ दस्तावेज पंजीकृत हुआ– अपंजीकृत

निरन्तर——2

(202) (160)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- अपील/582/एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 29/09/2011 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	